



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 538 राँची, शुक्रवार,

16 अगस्त, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संकल्प

16 अगस्त, 2024

संचिका सं०-06/मानकी मुण्डा-277/2018-2651/रा०--

विषय :-

मानकी, परगनैत, मुण्डा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को देय सम्मान राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति।

झारखंड राज्य की संस्कृति और परंपराएं यहां के समाज की पहचान हैं। इस संस्कृति के संवाहक एवं संरक्षक हैं यहाँ के विभिन्नपरंपरागत पदाधिकारी जैसे मानकी, परगनैत, मुण्डा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार आदि। इन

पदाधिकारियों का झारखंड के ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण स्थान है और वे स्थानीय शासन, न्याय एवं सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

2. झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहे सामाजिक और आर्थिक बदलावों ने पारंपरिक पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों को और भी बढ़ा दिया है । वैश्वीकरण और आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय संस्कृति और परंपराएँ संकट में हैं । पारंपरिक पदाधिकारी इस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक हैं। आधुनिक समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने एवं सांस्कृतिक संरक्षण के लिए इन्हें अतिरिक्त संसाधनों और सहयोग की आवश्यकता है ।
3. झारखंड के पारंपरिक पदाधिकारी अपने कार्यों के माध्यम से राज्य की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और न्यायिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पारंपरिक पदाधिकारी ग्रामीण विकास के प्रमुख संवाहक होते हैं । इनकी भागीदारी से विकास कार्यों में पारदर्शिता और सामुदायिक सहभागिता बढ़ती है। इनके कार्यों की महत्ता और उनकी बढ़ती जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए सम्मानराशि में वृद्धि करना आवश्यक है। इससे न केवल इन पदाधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि झारखंड की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण एवं इनके विकास कार्यों में और भी सुधार सुनिश्चित होगा ।
4. इन समुदायों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता से इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, जिससे वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकेंगे और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में बेहतर भागीदारी कर सकेंगे। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्च को ध्यान में रखते हुए उनकी मासिक सम्मान राशि की वृद्धि से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्राप्त होगी, जिससे सामाजिक समावेश में सुधार होगा । अतिरिक्त धनराशि का उपयोग स्थानीय व्यापार और रोजगार सृजन में किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा ।
5. झारखंड के पारंपरिक पदाधिकारियों की सम्मान राशि में वृद्धि करना समय की मांग है। यह न केवल इनके कार्यों की महत्ता को स्वीकार करता है बल्कि उनके माध्यम से समाज में स्थिरता और समृद्धि लाने में भी योगदान करता है। इस वृद्धि से पारंपरिक व्यवस्थाओं और ग्रामीण विकास को सशक्त बनाया जा सकेगा, जिससे झारखंड की अनूठी संस्कृति और परंपराएँ संरक्षित रहेंगी। यह कदम न केवल इन समुदायों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाएगा बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी सहायक होगा ।
6. राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-**3963** दिनांक-**12.12.2023**, विभागीय संकल्प संख्या-**4654/रा0**, दिनांक-**22.11.2018** एवं विभागीय संकल्प संख्या -**3512/रा0**, दिनांक-**17.09.2019** द्वारा वर्तमान में मानकी एवं परगणैत को प्रतिमाह **3000/-**रूपये, मुण्डा एवं

ग्राम प्रधान को प्रतिमाह **2000/-** रुपये तथा डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को प्रतिमाह **1000/-** रुपये सम्मान राशि का भुगतान किया जा रहा है ।

7. उपरोक्त संकल्पों में विभिन्न उपायुक्तों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में **86** मानकी, **194** परगणैत, **6986** ग्राम प्रधान, **1206** मुण्डा, **1482** डाकुआ, **1824** पराणिक, **2172** जोगमांझी, **1740** कुड़ाम नायकी, **2188** नायकी, **2505** गोड़ैत, **377** मूलरैयत, **16** पड़हा राजा, **6198** ग्राम सभा का प्रधान, **22** घटवाल, **47** तावेदार एवं **1537** ग्रामीण दिउरी (पुजारी) कार्यरत हैं ।
8. मानकी-मुण्डा संघ, कोल्हान पोड़ाहाट केन्द्रीय समिति, चाईबासा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित अभ्यावेदन पत्रांक-एम.एम.एस.-**53/2024** दिनांक-**23.06.2024** द्वारा मानकी मुण्डा स्वशासन व्यवस्था में विधिवत नियुक्त मानकी-मुण्डा एवं डाकुवाओं की सम्मान राशि में सम्मान जनक बढ़ोतरी हेतु अनुरोध किया गया ।
9. इस संबंध में प्रत्येक पारंपरिक पदाधिकारी के कार्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा सम्यक विचारोपरांत वर्तमान में सभी पदों हेतु निर्धारित सम्मान राशि में वृद्धि कर निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है-

क्र0	पदनाम	वर्तमान में देय सम्मान राशि (प्रतिमाह)	वर्द्धित सम्मान राशि (प्रतिमाह)
1	मानकी, परगणैत	3000/-	6000/-
2	मुण्डा एवं ग्राम प्रधान	2000/-	4000/-
3	डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार	1000/-	2000/-

- 10- उक्त वृद्धि के उपरांत उपरोक्त संकल्पों में अंकित कार्यरत पदों की संख्या के आधार पर वर्तमान एवं वर्द्धित सम्मान राशि वितरण में राज्य सरकार पर अनुमानित वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार कुल रु. 44,79,84,000/- (चौवालिस करोड़ उन्नासी लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

पूर्व से निर्धारित मानदेय के आधार पर वार्षिक व्यय भार	वर्तमान में मानदेय वृद्धि के फलस्वरूप वार्षिक व्यय भार	कुल अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार
:- 44,79,84,000/-	:- 89,59,68,000/-	:- 44,79,84,000/-

11. वित्तीय वर्षवार राशि का उपबंध राज्य योजना मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष- 101-संग्रहण प्रभार उपशीर्ष-01-मानकी, मुण्डा डाकुआ प्रधान/ठिकेदार के लिए सम्मान के अंतर्गत मानदेय ईकाई में उपलब्ध राशि से भुगतान किया जायेगा।

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-07.08.2024 में मद संख्या- 10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।
